

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936

No. 25]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015/MAGHA 3, 1936

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2015

सं. 1-सीए(7)/167/2014- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों के प्रारूप को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उप-धारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 तारीख 10 सितंबर, 2014 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 12 सितंबर, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर, संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब परिषद्, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में,-

(i) विनियम 28ड के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में "नौ मास" शब्दों के स्थान पर "आठ मास" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) विनियम 48 के उप-विनियम (1) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

“सारणी

आर्टिकल सहायक की सेवा के सामान्य स्थान का वर्गीकरण	प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान	प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के दौरान	प्रशिक्षण की शेष अवधि के दौरान
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) बीस लाख और अधिक की जनसंख्या वाले नगर/शहर	2000/- रुपए	2500/- रुपए	3000/- रुपए
(ii) चार लाख और अधिक किंतु बीस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर/शहर	1500/- रुपए	2000/- रुपए	2500/- रुपए
(iii) चार लाख से कम जनसंख्या वाले नगर/शहर	1000/- रुपए	1500/- रुपए	2000/- रुपए;”

(iii) विनियम 204 में, “और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों तथा विश्व व्यापार संगठनों” शब्दों के स्थान पर “अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों तथा विश्व व्यापार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय कराधान” शब्द रखे जाएंगे।

वी. सागर, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./104/14]

टिप्पण : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना सं0 1सीए(7)/134/88 तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इनमें निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए थे :-

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्तूबर, 1989 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/1/89
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/10/90
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/11/90
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/12/91
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/13/90
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/19/92
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितम्बर, 1995 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/28/95
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/30/95
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/31/97
- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/44/99
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/45/99
- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/51/2000
- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/59/2001
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/64/2002
- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसम्बर, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/64ए/2003
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/83/2005
- (xvii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 जून, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/84/2005
- (xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/92/2006
- (xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/102/2007(अ)
- (xx) भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितंबर, 2008 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/116/2008
- (xxi) भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसंबर, 2008 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/123/2008
- (xxii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 अगस्त, 2012 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/145/2012
- (xxiii) भारत के राजपत्र, तारीख 22 जुलाई, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 1सीए(7)/154/2014

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd January, 2015

No. 1-CA(7)/167/2014.- Whereas certain draft regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published as required by sub-section (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 10th September, 2014, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th September, 2014;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Council of the Institute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (First Amendment) Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988 (hereinafter referred to as the said regulations),-
 - (i) in regulation 28E, in sub-regulation (1), in clause (b), for the words “nine months”, the words “eight months” shall be substituted.
 - (ii) in regulation 48, in sub-regulation (1), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“ TABLE

Classification of the normal place of service of the articulated assistant	During the first year of training	During the second year of training	During the remaining period of training
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Cities/towns having a population of twenty lakhs and above	Rs. 2000/-	Rs. 2500/-	Rs. 3000/-
(ii) Cities/towns having a population of four lakhs and above but less than twenty lakhs	Rs. 1500/-	Rs. 2000/-	Rs. 2500/-
(iii) Cities/towns having a population of less than four lakhs	Rs. 1000/-	Rs. 1500/-	Rs. 2000/-; ”

- (iii) in regulation 204, for the words “and International Trade Laws and World Trade Organisations” the words, “International Trade Laws and World Trade Organisation and International Taxation” shall be substituted.

V. SAGAR, Acting Secy.

[ADVT III/4/Exty./104/14]

Note.- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and subsequently amended by

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India, dated 7th October, 1989
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India, dated 23rd February, 1991
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India, dated 2nd February, 1991
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated 7th March, 1992.

- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India dated 1st September, 1995
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th March, 1996
- (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India, dated 16th August, 1997
- (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India dated 26th February, 2000
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated 26th February, 2000
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 17th August, 2001
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th September, 2001
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st March, 2003
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th December, 2003
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2005
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India, dated 17th June, 2006
- (xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006 published in the Gazette of India, dated 13th September, 2006
- (xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E) published in the Gazette of India, dated 17th August, 2007
- (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008 published in the Gazette of India, dated 25th September, 2008
- (xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008 published in the Gazette of India, dated 3rd December, 2008
- (xxii) Notification No. 1-CA(7)/145/2012 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 1st August, 2012
- (xxiii) Notification No. 1-CA(7)/154/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 22nd July, 2014